

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र.1473-1-25-2008-अठारह-3, दिनांक 8 जून, 2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-16-08-1 पांच (26) दिनांक 22 जुलाई, 2008; तथा

(ख) क्रमांक एफ-3-41-2008-1-पांच (02) दिनांक 31 जनवरी, 2009,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-22-57-2007-आठ, दिनांक 4 जनवरी, 2008,

(ख) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 15 मई, 2008,

(ग) क्रमांक एफ-22-254-2001-आठ, दिनांक 9 जुलाई, 2008,

(घ) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 18 जुलाई, 2008 ; तथा

(ङ) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 2008,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल का कक्षा पांचवी एवं आठवीं विधान सभा क्षेत्रवार वार्षिक परीक्षा परिणाम वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगी.

(7) श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), आरिफ अकील, सदस्य, बालाघाट जिले के सेवा सहकारी समिति चांगुटोला द्वारा कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, दमोह जिले में बलराम तालाब योजना के हितग्राही चयन में अनियमितता किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के भानपुरा स्थित कचरा खन्ती को बंद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -

- (क) शहर के वार्ड नं 23 पारस नगर (डोंसीगांव) में एक लाख गैलन पानी की टंकी निर्माण किये जाने ,
- (ख) शहर के वार्ड नं. 23 पारस नगर को जावरा रोड मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) शहर के सैलाना ओवर ब्रिज के दोनों तरफ डामरीकरण किये जाने,
- (घ) ग्राम-बरबोदना में हाईस्कूल खोले जाने, तथा
- (ङ) भोपाल शहर के निशातपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर अण्डर ब्रिज बनाये जाने,

(2) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर -

- (क) शहर के गंगवाल बस स्टेण्ड लाबरिया भेरु से सिरपुर तक मार्ग का पुनर्निमाण कराये जाने,
- (ख) शहर के वार्ड नं. 55 में लालबाग स्थित त्रिवेणी कालोनी से आर.टी.ओ. मार्ग के बीच पुल निर्माण किये जाने
- (ग) शहर के वार्ड नं. 52 की बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) शहर में शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -

- (क) मुख्यालय के पुराने अस्पताल भवन में डिस्पेन्सरी खोले जाने,
- (ख) विजयपुर में कूनो नदी पर बांध बनाये जाने, तथा
- (ग) विजयपुर तहसील के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (संस्थान) में नवीन ट्रेड स्वीकृत किये जाने,

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर शहर के -

- (क) वार्ड क्रमांक 8 में स्थित बाल्मीक बस्ती में विद्युत अपूर्ति हेतु 5 खम्बे लगाये जाने,
- (ख) वार्ड क्रमांक 8 में स्थित बाल्मीक बस्ती में नवीन सीवर लाईन बिछाए जाने,
- (ग) वार्ड क्रमांक 8 स्थित बाल्मीक बस्ती में पेयजल अपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने,
- (घ) वार्ड नं. 1 स्थित बदनापुरा, बरा एवं रेशमपुरा की विद्युत लाईन ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर शहरी क्षेत्र से जोड़ी जाने,
- (ङ) वार्ड नं. 16 रेशममील में रिक्त पड़ी सरकारी जमीन में कन्या हाई स्कूल स्थापित किये जाने,
- (च) वार्ड नं. 18 न्यू चंदनपुरा में चन्द्रपाल भदौरिया के यहां से गोरेलाल धमनियां के घर तक सीमेंट खम्बे हटाकर नवीन विद्युत खम्बे लगाये जाने,
- (छ) वार्ड नं 18 चन्दनपुरा हरिजन बस्ती में पेयजल हेतु एक बोरिंग कराये जाने, तथा
- (ज) वार्ड नं. 14 तुलसी बिहार फेज-2 में विद्युत आपूर्ति हेतु 15 खम्बे, तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,

- (5) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) वारासिवनी के ग्राम थानेगांव नाले पर पुल निर्माण किये जाने,
(ख) वारासिवनी के ग्राम बुदबुदा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम पंचायत छोटी (ठीमर टोला) से देवरी के बीच पुल निर्माण किये जाने,
- (6) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ाटोला, घुरेहटा को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(ख) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पतुलखी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(ग) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैलाशपुर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(घ) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गेदुरहर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा
(ङ) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटेहरा को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (7) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
(क) खिरसाडोह पालीटेक्निक कालेज को माइनिंग इंजीनियरिंग कालेज में उन्नयन किये जाने,
(ख) परासिया कृषि उपमंडी के चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल तथा मंडी तक रोड बनाये जाने,
(ग) जुन्नारदेव विकासखंड की शासकीय होम्योपैथिक सेनेटोरियम हास्पिटल की मरम्मत कराये जाने, तथा
(घ) परासिया मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
- (8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) शहर में अग्नि शमन यंत्र सहित प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ किये जाने, तथा
(ख) ललितपुर मार्ग से अन्ननीमाता मंदिर, बरीघाट तक पक्की रोड बनाये जाने
- (9) श्री नारायण प्रसाद प्रजापति, सदस्य, सागर की शाहगढ़ तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, भोपाल शहर के कोटरा सुलतानाबाद के शासकीय आवास गृह क्रमांक (एफ-65 से एफ-70) के सामने मैदान से अतिक्रमण हटाने एवं उद्यान बनाये जाने,
(11) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 40 कृष्णानगर गली नं. 2 एवं 3 में कंक्रीट रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2009

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.